

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क0-399 / 2012
संस्थित दिनांक-04.05.2012
फा.नंबर 234503001572012

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी
केन्द्र-गढ़ी, जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

!!विरुद्ध!!

अजयपालसिंह पिता जगीरसिंह, उम्र-31 वर्ष, जाति जाट
निवासी कृष्णा नगर, सुपेला, भिलाई थाना सुपेला,
जिला दुर्ग (छ.ग.)

.....आरोपी

!! निर्णय !!

(दिनांक 08/06/2018 को घोषित किया गया)

01:- उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 02.05.12 को समय करीब 12:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत पाण्डुतला मेन रोड़ गढ़ी लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.07एम.बी.4601 को उपेक्षा व उतावलेपनपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करने, विकल्प में उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन स्वामी को रिष्टि कारित के आशय से उक्त वाहन से दस चक्का ट्रक क्रमांक एम.पी.20एच.बी.3332 के ड्राईवर साईड को टक्कर मारकर स्टेरिंग, ड्राईवर साईड का सामने का चक्का को क्षतिग्रस्त 40000/- रुपये की रिष्टि कारित करने, इस प्रकार धारा 279, 427 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02:- प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।

03:- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 02.05.12 को ग्राम पाण्डुतला में आम के पेड़ के नीचे वाहन क्रमांक एम. पी.20एच.बी.3332 को फरियादी संतोष कुमार खड़ाकर वही सड़क किनारे बैठा हुआ था। दिन के करीब 12:00 बजे रायपुर से पाण्डुतला की ओर से आरोपी ने अपने ट्रक क्रमांक सी.जी.07एम.बी.4601 को तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर उक्त खड़े ट्रक को ठोस मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के उपरांत फरियादी संतोष ने थाना गढ़ी में घटना की रिपोर्ट की। जिसे थाना गढ़ी में अपराध क्रमांक 27/12 धारा-279 भा.दं.वि. एवं धारा 183, 184 मो.व्ही.एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। क्षतिग्रस्त वाहन का नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:— आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण में आरोपित अपराध से अस्वीकार किया है तथा आरोपी द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

05:—प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 02.05.12 को समय करीब 12:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत पाण्डुतला मेन रोड़ गढ़ी लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.07एम.बी.4601 को उपेक्षा व उतावलेपनपूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

विकल्प में

क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन स्वामी को रिष्टी कारित के आशय से उक्त वाहन से दस चक्का ट्रक क्रमांक एम.पी.20एच.बी.3332 के ड्राईवर साईड को टक्कर मारकर स्टेरिंग, ड्राईवर साईड का सामने का चक्का को क्षतिग्रस्त 40000/- रुपये की रिष्टी कारित किया ?

!! निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण !!

विचारणीय प्रश्न क्रमांक:—01

06:— शरद कुमार अ.सा.01 ने बताया कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना लगभग 2—3 वर्ष पूर्व दिन के 1:30 बजे रतिराम चक्रवर्ती के मकान के सामने की है। घटना दिनांक को रतिराम के मकान के सामने आम के पेड़ के नीचे एक ट्रक खड़ा था। उसी समय रायपुर तरफ से एक ट्रक तेज गति से आया और खड़े ट्रक को टक्कर मार दिया। जिससे खड़े ट्रक की बाड़ी

पिचक गयी। टक्कर की आवाज सुनकर रतिराम तथा अन्य लोग घटना स्थल पर आये थे। जिस ट्रक से खड़े ट्रक को टक्कर मारी गयी थी उसके चालक को उसने नहीं देखा था। टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक को गांव वालों ने ट्रक से बाहर निकाला था। उस समय वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। पुलिस ने उसका बयान गांव में लिया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अजय से कोई जप्ती नहीं की थी। आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था।

07:— शरद कुमार अ.सा.01 को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर बताया कि आरोपी अजय ट्रक के अंदर स्टेरिंग में दबा हुआ था, जिसे उसके सामने गांव वालों ने ट्रक के बाहर निकाला। यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने आरोपी अजय से एक ट्रक मय दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-01 तैयार किया था। आरोपी अजय से जप्तशुदा ट्रक का नंबर वह नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब ट्रक से टक्कर हुयी तो वह घर के अंदर था। यह भी स्वीकार किया है कि उसने टक्कर होते हुये नहीं देखा इसलिये ट्रक से कैसे टक्कर हुयी नहीं बता सकता। यह भी स्वीकार किया है कि वह ट्रक के रफ्तार को नहीं बता सकता। यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के चालक को नहीं जानता है और न ही उसके नाम को जानता है। इस प्रकार यह साक्षी घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था तथा टक्कर किसकी लापरवाही से हुयी थी यह भी नहीं बताया है। साक्षी ने आरोपी की पहचान भी नहीं बताया है।

08:— जी.एल. चौधरी अ.सा.02 ने बताया है कि दिनांक 03.05.12 को फरियादी संतोष के द्वारा थाना गढी में ट्रक क्रमांक सी.जी.07एम.बी.4601 के चालक के विरुद्ध धारा 279 भा.द.वि. 183, 184 मो.व्ही.एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-03 पंजीबद्ध की गयी थी। विवेचना के दौरान उसने उक्त दिनांक को घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी-04 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही उसने गवाह संतोष, सोनूसिंह ठाकुर, शरद, रतिराम चक्रवर्ती, विष्णुप्रसाद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। क्षतिग्रस्त ट्रक एम.पी.20एच.बी. 3332 का नुकसानी पंचनामा प्रपी-05 गवाह शरद, रतिराम, सुरजीत, विष्णु, संतोष के समक्ष तैयार किया था। विवेचना के दौरान उसने उक्त दिनांक को

घटना में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक सी.जी.07एम.जी.4601 आरोपी अजय से ड्रायविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमीट जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-01 तैयार किया था। आरोपी अजय को साक्षी शरद और इंद्रजीत के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-02 तैयार किया था। उक्त दिनांक को जप्तशुदा ट्रक सी.जी.07एम.बी.4601 का यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-06 विनोद कुमार से तैयार कराया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-03 में आरोपी का नाम नहीं लिखा है किन्तु इससे इंकार किया है कि उसने साक्षियों का कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था। इससे भी इंकार किया है कि संपूर्ण कार्यवाही थाने में बैठकर किया था। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी के विरुद्ध झूठी विवेचना किया है।

09:— बी. विनोद कुमार अ.सा.03 ने बताया है कि उसने थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक 27/12 में जप्तशुदा वाहन क्रमांक सी.जी.07एम.बी.4601 का यांत्रिक परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान ब्रेक तथा स्टेरिंग जाम था। इंजन बंद एवं एक्सीलेटर, रेडियेटर, सामने का कांच टूटा हुआ था, वाहन चलने योग्य नहीं था। उसके द्वारा दिया गया रिपोर्ट प्रपी-06 है। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि वाहन परीक्षण किये बिना पुलिस के बताये अनुसार उसने रिपोर्ट तैयार कर दी थी।

10:— इस प्रकार घटना के एकमात्र साक्षी शरद कुमार अ.सा.01 ने आरोपी की पहचान नहीं किया है। टक्कर के समय घर के अंदर होना बताया है तथा इस साक्षी ने घटना के समय घर के अंदर होने के कारण घटना कैसे हुयी इसकी जानकारी नहीं होना कथन किया है। इस साक्षी ने ट्रक की गति के बारे में भी नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट रूप से बताया है कि वह ट्रक चालक को नहीं जानता है और न ही उसका नाम बताया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाये जाने के बारे में कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में वाहन स्वामी को रिष्टि कारित करने का आशय रखते हुये ट्रक में टक्कर मारा गया हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में फरियादी संतोष के अदम पता होने से उसका साक्ष्य भी अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। फलतः उक्त परिस्थिति में आरोपी द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करने

तथा विकल्प में रिष्टी कारित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

11:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक दिनांक 02.05.12 को समय करीब 12:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत पाण्डुतला मेन रोड़ गढ़ी लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.07एम.बी.4601 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया, विकल्प में उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन स्वामी को रिष्टी कारित के आशय से उक्त वाहन से दस चक्का ट्रक क्रमांक एम.पी.20एच.बी.3332 के ड्राईवर साईड को टक्कर मारकर स्टेरिंग, ड्राईवर साईड का सामने का चक्का को क्षतिग्रस्त 40000/- रुपये की रिष्टी कारित किया। फलतः आरोपी को धारा 279, 427 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

12:— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

14:— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक—सी.जी.07एम.बी.4601 आवेदक इंद्रजीतसिंह पिता गुरदीपसिंह जाट, उम्र 33 वर्ष, निवासी भिलाई, जिला दुर्ग छ.ग. की सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/—

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही/—

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)